Vol. 10, Issue: 8, August: 2022
ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X

भारत की देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश क्राउन के सम्बन्ध के सन्दर्भ

डॉ. मानवेन्द्र सिंह परिहार
सहायक आचार्य
चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय,
रसूलपुर, धौरहरा, लखीमपुर–खीरी

भारतीय नरेशों की शक्ति का अंत तथा ब्रिटिश सरकार के साथ उनके संबंध दोनों ही विषय आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही रोचक विषय है। किस प्रकार धीरे–धीरे स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र राज्य तथा सामंतों ने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे प्रमुख सत्ता मान लिया। भारतीय रियासतों का जब से अंग्रेजों के साथ संपर्क स्थापित हुआ तभी से वे अपनी सत्ता खोती गयी। अब वे केवल उसी शक्ति का प्रयोग कर सकती थीं जो उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी। इस राजनैतिक संबंध को 'सर्वोच्च सत्ता' ''Paramountcy'' शब्द से संबोधित किय गया है।[i]

इस शब्द का अभिप्राय है एक शक्ति का नियंत्रण और दूसरी शक्ति की परतन्त्रता अथवा अधीनता सर्वोच्च सत्ता सर्वोपरि होती है और इसी शक्ति का प्रयोग भारत सरकार ने देशी रियासतों तथा नरेशों के प्रति किया।

भारत भूमि का क्षेत्र 250 मिलियन वर्ग मील था। जिसमें से 50 प्रतिशत क्षेत्र रियासतों के अधीन था।[ii] भारत में रियासतों की संख्या 562 थी और उनमें अधीन 712508 वर्ग मील का क्षेत्र था। इन रियासतों में कुछ बड़े आकार की थी जैसे हैदराबाद जो इटली जितनी बड़ी थी जिनकी जनसंख्या 14000000 थी और आय 8.5 करोड़ रू थी और कुछ इतनी छोटी थी जैसे कि बिलवारी जिनकी जनसंख्या केवल 27 थी और आय 8 रूपये वार्षिक। अनुमान लगाया गया है कि 202 रियासते ऐसी थी जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 वर्ग मील से कम था 139 का 5 वर्गमील से कम और 70 ऐसी थी जिनका क्षेत्रफल 1 वर्गमील से अधिक नहीं था। भारत में रियासतों के अस्तित्व में आने के मुख्य कारण वही थे जिनके कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी शक्तिशाली बनी।[iii] बहुत सी भारतीय रियासतें स्वायत्तता प्राप्त अस्वायत्तता प्राप्त ईकाईयों के रूप में उत्तर मुगल काल में बनी। कम्पनी ने भी इन्हीं शासकों की दुर्बलता से लाभ उठाया। कई रियासतों को कम्पनी विलय नहीं हुआ अपितु उन्होंने कम्पनी की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। जैसे हैदराबाद अवध और राजपूत रियासतें।

अंग्रेजों और भारतीय रियासतों में निम्नलिखित अवस्थायें देखन को मिलती हैं–
1–अपने सुरक्षित घेरे में सीमित रहने की नीति 1757–1813
2–अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813–1858
3–अधीनस्थ संघ की नीति 1858–1935

Vol. 10, Issue: 8, August: 2022
ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X

1757 में अंग्रेजों प्लीसी का युद्ध जीता और तत्पश्चात बंगाल के नवाबों को कठपुतली बना दिया। 1765 में सम्राट शाह आलम ने कम्पनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इस प्रकार अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी मुगल सम्राट के कर संग्राहक गवर्नर बन गयी। और इस प्रकार उसे अन्य भारतीय रियासतों के समानान्तर अस्तित्व मिल गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी के अधिकार से किया। इस समय कम्पनी अपने राज्य में चारों ओर मध्य राज्य (Buffer State) बनाना चाहती थी[iv] उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। वैलेजली के आने से कम्पनी के रियासतों से सम्बन्धों में नवीनता आई उसका उद्देश्य रियासतों को अपनी रक्षार्थ कम्पनी पर निर्भर करना था। इसी आशय से उसने सहायक संधि प्रथा आरम्भ की और हैदराबाद अवध मैसूर और अन्य रियासतें इस में सम्मिलित की। लार्ड हेस्टिंग्स (1813–23) के युद्धों से कम्पनी के और भारतीय रियासतों के संबंधों में नया मोड़ आया। साम्राज्यवाद की भावना जाग उठी और सर्वश्रेष्ठता के सिद्धान्त का विकास होना आरम्भ हुआ। अब जो संधिया रियासतों से की जाती थी उनमें पारस्परिकता और मैत्री संबंधों के स्थान पर कम्पनी के साथ अधीनस्थ सहयोग और कम्पनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकारने की बात थी अर्थात अब रियासतों की समस्त बाहरी प्रभुसत्ता कम्पनी के अधीन व आन्तरिक मामलों में स्वतंत्रता।[v]

1818 में कम्पनी की निर्विवाद रूप से सत्ता स्थापित हो जने पर भी कम्पनी की रियासतों के प्रति नीति पूर्णतया अव्यवस्थित अस्पष्ट और प्रायः परस्पर विरोधी ही थी। कम्पनी के अधिकारी इस विषय में शासकों को जमींदार सामन्त कर देनेवाले सहायक अथवा स्वतन्त्र शासक के रूप में स्वीकार करते थे और इस विषय में प्रत्येक गवर्नर जनरल और रेजिडेन्ट भिन्न–भिन्न विचार रखता था। कभी पूर्वीदाहरण का अनुसरण करते थे तो कभी नए पूर्वोदाहरण बना देते थे।

एक ओर तो कई रियासतें विलय कर ली गयी। बैटिंक ने 1831 में मैसूर 1832 में कचार 1834 में कुर्ग और 1835 में जैन्तिया रियासतें आकलैण्ड ने 1839 में करतूल और माण्डवी 1840 में कोलाबा और जालौन 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार कम्पनी का व्यापार बन्द करने की आज्ञा हुई रियासतों के प्रति नीति में एक महत्तवपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि अब उत्तराधिकार के प्रश्न पर कम्पनी की पूर्व आज्ञा रियासतों के शासकों को लेनी होती थी। इसका फायदा उठाकर डलहौजी ने लगभग आधी दर्जन रियासतें जिनमें अवध सतारा और नागपुर जैसी बड़ी रियासतें शामिल थी अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली। एक ओर कई रियासतें विलय कर ली गयी तो दूसरी ओर खैरपूर को 1832 में बहावलपुर को 1833 में और कश्मीर को 1846 में यह विश्वास दिलाया गया कि उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर डॉडवेल इस विषय पर लिखते हैं–

कम्पनी को संधि की शर्तों से प्राप्त अधिकारों के अतिरिक्त एक ओर शक्तिशाली और एक ओर अनमने मन से चुपचाप स्वीकृति देने वाली विनीत शक्तियां उभर रही थीं तथा उत्तराधिकार और आन्तरिक प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप करने के अनेक पूर्वोदाहरण आरम्भ कर दिये। यह सबका सम्मिश्रण ही कम्पनी की सर्वश्रेष्ठता (Paramountcy)[vi] थी वह सर्वश्रेष्ठता जो कि अनिश्चित और अपरिभाष्य थी और जिसका राजनैतिक परिस्थितियों के शक्तिशाली दबाव के कारण सदैव प्रसार होता रहता था।

डलहौजी के लैप्स के सिद्धान्त को सख्ती से लागू करके अनेक राज्यों पर कब्जा कर लिया गया था। 1857 के विद्रोह का यह एक बड़ा करण बना जिन नरेशों के राज्यों पर कब्जा किया गया था उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन अधिकांश नरेश अंग्रेजों के निष्ठावान बने रहे और उनमें से कुछ ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया।

Vol. 10, Issue: 8, August: 2022
ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X

नरेशों की वफादारी से यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में अंग्रेजी राज का टिका रहना भारतीय राज्यों की सहायता के बिना असंभव है। लार्ड कैनिंग ने यह स्वीकार किया कि राज्यों ने उस तूफान को रोकने में हमारी मदद की जिसका एक बड़ा झोंका हमें उखाड़ सकता था।[vii]

इसलिए अंग्रेजों ने सुरक्षा कपाट के रूप में राज्यों को कायम रखने का फैसला किया और लैप्स के सिद्धान्त का परित्याग किया। 858 में अंग्रेजी ताज द्वारा सीधे उत्तरदायित्व संभाल लेने पर भारत सरकार और रियासतों के बीच संबंधो की परिभाषा अधिक स्पष्ट हो गयी। परन्तु महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने कुछ अनियमितताओं को जारी रखा उस में कहा गया हम भारत के स्थानीय राजाओं को यह घोषित करते हैं कि हम उन सभी सन्धियों तथा प्रतिज्ञापत्रों को स्वीकार करते है जो कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अथवा उनकी आरे से की गयी है और हम उन पर आचरण करेंगे और हम यह आशा करते हैं कि वे राजा भी अपनी ओर से इसे मानते रहेंगे। महारानी ने विलय की नीति को त्याग दिया यह विश्वास दिलाया गया कि ताज अपने प्रदेश का विस्तार नहीं करना चाहता।[viii]

1860 ई. में राजाओं को सनदें दी गयी। इसके द्वारा स्वाभाविक उत्तराधिकारी न रहने पर हिन्दू सरकारें को दत्तक पुत्र बनाने का अधिकार मिल गया तथा मुस्लिम सरदारों को मुस्लिम कानून के अनुसार किसी भी तरह से उत्तराधिकार निश्चित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इन्हें गोद लेने की सनदें अथवा दत्तक ग्रहण के अधिकार से लिखित बन्ध पत्र कहा गया। इस प्रकार इससे रियासतों के चिर स्थायित्व सुरक्षित हो गया। 1884 में मध्य प्रान्तों में मुख्य आयुक्त को लिखा था किसी रियासत का उत्तराधिकरी उस समय तक अमान्य है जब तक कि वह अंग्रेजी सरकार की स्वीकृति किसी न किसी रूप में प्राप्त न कर लें।

इसके साथ ही भारतीय राजाओं और क्राउन के बीच बराबरी की भावना सदा के लिए समाप्त हो गयी। कैनिंग ने इन्हीं राजाओं का उल्लेख सामन्त और प्रजा के रूप में किया और क्राउन का असंदिग्ध शासक और सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में किया। सर्वश्रेष्ठता अब न केवल ऐतिहासिक सत्य था अपितु एक कानूनी सिद्धान्त था जो कि व्याख्या और वृहि किए जाने के योग्य भी था। 1876 में एक राजकीय उपाधि अधिनियम पास किया गया। इसके अनुसार महारानी को कैसर–ए–हिंद अथवा भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और क्राउन को अधिकार दिया गया कि प्रत्येक राजा का क्या पद होगा और उसे कितनी तोपों की सलामी मिलेगी। इस प्रकार रियासतों को केवल खोखली शानो–शौकत से घिरा रखने का एक पैतरा खेला गया वास्तविकता तो यह थी कि शासक किसी तरह संतुष्ट रहे और क्राउन के स्वामिभक्त बने रहें।[ix]

लार्ड कर्जन ने रियासतों को एक पत्र भेजा जिसमें राजाओं को एश्वर्य के पीछे भागने के स्थान पर प्रजा की भलाई और प्रशासन में संलग्न होने की बात कही। यूरोप पर्यटन पर रोक लगा दी और भारत से अधिक देर तक बाहर रहना कर्तव्य विमुखता समझी जाने लगी। प्रथम विश्व युद्ध में नरेशों के सहयोग से प्रसन्न होकर यह आवश्यक समझा गया कि भारतीय नरेशों को समय पर सलाह करने के लिए बुलाया जाय। बाद में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 ने भारतीय नरेशों की स्थायी परिषद होने का सुझाव दिया इसी आधार पर 1921 में राजाओं की परिषद 'नरेन्द्र मण्डल' अस्तित्व में आया। 8 फरवरी 1921 को नरेन्द्र मण्डल का गठन हुआ और ड्यूक ऑफ कनॉट ने दिल्ली के लाल किले के दीवान–ए–आम में इसका उद्घाटन किया। यह मण्डल विचार विमर्श की सलाहकार समिति थी। इसका किसी यासत के आन्तरिक मामलों से कोई संबंध नहीं था और न ही यह रियासतों समकालीन अधिकारों अथवा उनकी कार्य करने की स्वतन्त्रता के विषय में कोई वाद–विवाद कर सकती थी।[x]

Vol. 10, Issue: 8, August: 2022
ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X

नरेन्द्र मण्डल का सबसे अभागापन यह था कि जिन राज्यों के नरेशों ने इसकी नीव रखी अन्त में वही इस के सदस्य नहीं बनें जैसे– हैदराबाद बड़ौदा इन्दौर आदि। इस प्रकार यह मण्डल नीव विहीन इमारत की भांति थी। 1926 में लार्ड रीडिंग द्वारा हैदराबाद के निजाम को लिखे पत्र ने नरेशों को भारी चिंता में डाल दिया जिसमें लिखा था। The Sovereignty of British crown is Supreme in India and therefore no ruler of Indian states can justifiably claim to negociate with the British government on an equal footing..[xi]

अप्रैल 1926 में रीडिंग के पश्चात इरविन वायसराय बनें भयभीत भारतीय नरेशों ने इरविन से रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने की मांग की। और इसी उद्देश्य से सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 16 दिसम्बर 1927 में बटलर कमेटी अथवा इंडियन स्टेट्स कमेटी का गठन हुआ। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लैस्ली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। इसका मुख्य उद्देश्य था–

1. भारतीय राज्यों और सर्वोच्च सत्ता के मध्य सम्बन्धे पर विशेषतः अधिकार और कर्तव्यों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करना।
2. ब्रिटिश भारत और राज्यों के मध्य वित्तीय और आर्थिक मामलों की जांच करना और समिति को इस मुद्दों पर अधिक संतोषजनक व्याख्या के सुझाव देना।[xii]

बटलर समिति ने सर्वश्रेष्ठता के संबंध में व्यवस्थापित किया कि सर्वश्रेष्ठता सर्वोच्च रहनी चाहिए इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। रियासतें क्राउन के साथ संधियों द्वारा बंधी हुई है। उन्हें अपने शासकों की अनुमति के बिना किसी ऐसी भारतीय सरकार में जो भारतीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो नहीं देना चाहिए।

भारतीय नरेश बहुत चकित हुए कि सर्वश्रेष्ठता की परिभाषा स्पष्ट नहीं हुई। शासक वर्ग बटलट समिति की कार्यवाहियों से बहुत उदास थे। वे चाहते थे कि आन्तरिक मामलों में राजनैतिक विभाग के हस्तक्षेप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए परंतु ऐसा नहीं हुआ।

1929 में लार्ड अर्विन ने रैम्जे मैकडोनल्ड की नव गठित श्रमिक दल की सरकार से मंत्रणा के उपरान्त यह घोषणा की कि भारत की राजनैतिक उन्नति का अन्तिम उद्देश्य प्रान्तीय स्वायत्तता है तथा साइमन आयोग की रिपोर्ट पर इंग्लैण्ड में गोलमेज सम्मेलन किए जायेंगे। जिसमें अंग्रेजी सरकार भारतीय अंग्रेज प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।[xiii]

गोलमेज कॉफेस के अधिवेशन 1930–31 तथा 1932 में हुए। इस में जिन मुद्दों पर सहमति हुई वे थे– भारत की नई सरकार का रूप अखिल भारतीय होना चाहिए। संघीय सरकार कुछ आरक्षण के साथ संघीय विधान मण्डलों में प्रति उत्तरदायी हो। और यदि भारतीय प्रतिनिधि साम्प्रदायिक उलझन को न सुलझा पाए तो प्रान्त को प्रान्तीय स्वशासन मिलनी चाहिए। अंग्रेजी प्रधानमंत्री ने अलग निर्वाचनों को बनाए रखा और फिर 1932 में अपना प्रसिद्ध साम्प्रदायिक पंचार दे दिया। इस मंक अनुसूचित जातियों को भी पृथक सम्प्रदाय मानकर आरक्षित स्थान दिए गये। महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौते द्वारा इसे थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया।

इस प्रकार इस समस्त प्रक्रिया में जो साइमन आयोग से प्रारम्भ होकर साम्प्रदायिक पंचार पर समाप्त हुई नरेशों ने एक अखिल भारतीय संघ के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसमें भारतीय प्रान्त और भारतीय राज्यों को मिला देने की व्यवस्था थी। इसके पश्चात 1935 के अधिनियम में रियासतों को

Vol. 10, Issue: 8, August: 2022
ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X

समस्त भारत के संघ की संघीय विधायिक 375 में से 125 स्थान और राज विधान परिषद में 260 में से 104 स्थान दिये गये।[xiv]

संघ केवल तब ही अस्तित्व में आ सकता था जब कम से कम आधी जनसंख्या और परिषद के आधे स्थानों वाली रियासतें, संघ में सम्मिलित हो जाए। इसके लिए उन्हें सरकार को पहुंच का कानूनी लेखपत्र अथवा "Instrument of Accession" देना पड़ता था।[xv] चूंकि बहुत सी रियासतों ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया इसलिए संघ अस्तित्व में नहीं आ सका । 1937 के चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और गांधीजी ने घोषणा की कि रियासतों में जागृति समय की पुकार है और पूर्ण उत्तरदायी सरकार में रियासतों का लुप्त होना निहित है।[xvi]

द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में बहुत तेजी से राजनैतिक गतिविधियां टित हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग की नीति अपनाई ब्रिटिश सरकार ने इस गतिरोध को खत्म करने के उपाय किये क्रिप्स के सुझाव से लेकर इटली की घोषणा श्रृंखला की कड़ियां मात्र थी। इन सभी प्रस्तावों में भारतीय रियासतों के भविष्य पर विचार किया परन्तु माउन्ट बेटन योजना ने यहह स्पष्ट कर दिया कि सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी और रियासतों को अधिकार होगा कि वे भारत व पाकिस्तान किसी में भी सम्मिलित हो सकती हैं।[xvii]

संदर्भ

[i] के. एम. पन्निकर, एन इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्डस इंडियन स्टेट्स पृ.–54

[ii] एस. आर. आशटन, 'ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इण्डियन स्टेट्स' लंदन 1982, 90–11

[iii] ये आंकड़े 1941 के हैं ।

[iv] सर डब्ल्यू. ली. वार्नर, 'नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया' लंदन 1910 भाग 1 पृ.–201

[v] रेम्जे म्यूर द मेकिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया' पृ. – 249

[vi] पी.ई. राबर्ट्स, शहिस्टी ऑफ ब्रिटिश इंडियाश पृ.–296

[vii] के. एम. पन्निकर, एन इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स पृ.– 258

[viii] आर.सी. मजूमदार, शब्रिटिश पैरामाउन्टसी एण्ड इण्डियन रेनेसां अवस प बम्बई 1963 पृ.–962

[ix] प्रो. डॉडवैल, श्द कैम्ब्रिज हिस्टी ऑफ इण्डियाश भाग–5 पृ. – 117

[x] सर जॉन विलियम, श्ए हिस्टी ऑफ द सिपॉय वार इन इंडियाश भाग–1 लंदन–1880, पृ.–126

[xi] चौम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921

[xii] एस. आर. आशटन, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्डस इंडियन स्टेट्स लंदन, 1982, पृ.–161

[xiii] वही

[xiv] एफ. पी.डी. नं. 32, फेडरेशन मार्च 1935 एन.ए. आई.

[xv] आयन कूपलैण्ड, द ब्रिटिश राज एण्ड द इण्डियन प्रिंसेसश बॉम्बे 1981 0–186–87

[xvi] वही

[xvii] फॉरेन ऐंड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट नं. 136 फेडरेशन सीक्रेट 1935